



	मौसम			
तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	32.2	32.9	31.1	32.2
न्यूनतम	24.9	24.7	25.1	23.7

खबर कोना

अभियंता ने 15वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

जन्सता संवाददाता
नोएडा, 27 अगस्त।

सेक्टर-75 स्थित पंचशील प्रतिष्ठा सोसाइटी में एक व्यक्ति ने 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताया गया कि जिस समय आत्महत्या की गई, उस समय प्लेटफॉर्म में कोई और मौजूद नहीं था। मृतक की पहचान पंकज (36) के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ इसी सोसाइटी के टावर-8 में प्लेटफॉर्म संख्या-1504 में रहता था। एसीपी शैलया गोयल ने बताया कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। दोस्तों ने बताया कि वे काफी दिनों से तनाव में चल रहा था। उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है। आत्महत्या करने से पहले उसने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की थी।

सहजीवन में रह रहे प्रेमी ने शादी से किया इनकार, प्रेमिका ने दी जान

जन्सता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 27 अगस्त।

थाना इकोटेक श्री क्षेत्र में सहजीवन में रहने वाली एक युवती ने पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। बताया गया है कि शादी का दबाव बनाने पर सहजीवन में रह रहे प्रेमी और उसका परिवार युवती को परेशान कर रहा था। जिसके बाद युवती ने यह कदम उठाया। इस मामले में युवती के भाई पुलिस ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन पिछले चार साल से रविंद्र सहरावत नामक व्यक्ति के साथ सहजीवन में रह रही थी। आरोप है कि रविंद्र ने बहन से शादी का वादा किया था, लेकिन शादी नहीं कर रहा था। जब उसकी बहन ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो रविंद्र और उसके परिवारों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

मंकीपाक्स को लेकर सफदरजंग अस्पताल ने कार्ययोजना जारी की

जन्सता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

सफदरजंग अस्पताल ने मंकीपाक्स के बढ़ते खतरों को देखते हुए इससे निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल को नोटल अस्पताल के रूप में चिह्नित किया है। अस्पताल ने सदस्यों के आने से लेकर उनके पृथक्करण में रखने, जांच व उपचार और इस दौरान कर्मचारियों के बचाव को लेकर एक एसओपी जारी की है।

जेएनयू छात्र संघ की भूख हड़ताल खत्म

नई दिल्ली, 27 अगस्त (संवाददाता)।

जाह्नलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूसयू) की भूख हड़ताल 17वें दिन समाप्त हो गई। जेएनयूसयू के मुताबिक उनकी जेएनयू प्रशासन से कई मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद भूख हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। सोमवार को जेएनयू प्रशासन द्वारा जेएनयूसयू को उनकी कई प्रमुख मांगों पर सहमति दी गई और मौखिक आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद भूख हड़ताल पर

पुलिस मुठभेड़ में चार बदमाश गिरफ्तार, तीन को लगी गोली

जन्सता संवाददाता
नोएडा, 27 अगस्त।

थाना फेस थ्री पुलिस और बदमाशों के बीच जांच अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई। तीन बदमाशों के पैर में पुलिस की गोली लगी। जबकि एक बदमाश को वाद में गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि चारों गिरोह बनाकर राह चलते लोगों से लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने धीरे-धीरे उर्फ वीर सिंह हंडा लम्बू, पुरुषोत्तम मौर्य, इमरान उर्फ चाचा को सेक्टर 63 स्थित गढ़ी गोल चक्कर के पास खाली मैदान से गिरफ्तार किया है। वहीं, सुधीर गुप्ता को पर्थला गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मुखविर से सूचना मिली, कि कुछ बदमाश गढ़ी गोल चक्कर के पास लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर तीनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस से तीन तीनों को घर लिया, तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाश के पैर में गोली लगी। तीनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इनके पास में तीन तमंचा और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी।

900 किमी पीछा कर अंतरराष्ट्रीय मोबाइल तस्क़र को पकड़ा

जन्सता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

अपराध शाखा की टीम ने राजधानी दिल्ली से चुराए गए मोबाइलों को नेपाल में बेचने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनको पकड़ने के लिए टीम ने 900 किलोमीटर तक पीछा किया। उसके पास से 36 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी करीब 800 मोबाइल नेपाल भेज चुका था। गिरफ्तार आरोपी सर्वपाल सिंह उर्फ गिम्नी हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। वह पहले से हत्या, झूठपत्तारी, घरो में चोरी इत्यादि के मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने इसके पास से एक महंगी कार भी जब्त की है। शाखा के पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने मंगलवार को बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के एसीपी अजय कुमार की देखरेख में इम्पेक्टर संजय कुमार, सब इम्पेक्टर अंशु कादवान का टीम ने करीब 900 किलोमीटर तक पीछा कर उसे नेपाल सीमा के पास से पकड़ा। वह गोरखपुर से नेपाल सीमा तक पहुंच गया था। पूछताछ के पता चला कि वह दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से चोरी का मोबाइल खरीदता था। फिर उसे आगे नेपाल में भेज देता था।

सीसीटीवी लगाने संबंधी अभिवेदन पर फैसला लें मुख्य सचिव : हाई कोर्ट

जन्सता संवाददाता
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्य सचिव को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अभय वर्मा के उस अभिवेदन पर फैसला लगाने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा केवल उन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जहां से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता निर्वाचित हुए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष दायर विधायक की याचिका को दिल्ली के मुख्य सचिव को अभिवेदन के रूप में लेना चाहिए। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर अभिवेदन पर फैसला करने को कहा।

सेवा विभाग के वकील को प्रतिबंधित किया जाए : आतिशी

नई दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने निर्देश दिया है कि एक हलफनामे के जरिए अदालत को 'गलत' जानकारी देने को लेकर सेवा विभाग के सरकारी वकील को प्रतिबंधित किया जाए। एक आधिकारिक आदेश में, आतिशी ने कहा कि मुख्य सचिव को जांच करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकारी वकील (दीवानी) संतोष कुमार त्रिपाठी सभी संबंध मामलों में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

दिल्ली सरकार व एलजी में फिर टकराव

जानबूझकर चिकित्सकों के खाली पदों को नहीं भरा जा रहा : सौरभ

जन्सता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दावा किया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में डाक्टर और अन्य कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ) की भारी कमी है और जानबूझकर इन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा शासित केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का मन करता है, केवल वहां पर नई भर्तियां और तबादले किए जा रहे हैं। इस मामले में सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल से जवाब की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग से सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली के आशा किरण आश्रय केंद्र में 13 लोगों की मौत हो गई थी और छानबीन करने पर यह बात सामने आई थी, कि वहां डाक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों की भारी कमी थी। उन्होंने कहा कि तबादले और नियुक्ति का अधिकार सीधे तौर पर उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है और इन मौतों के लिए उपराज्यपाल सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। भारद्वाज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री का



कहा, जहां केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का मन करता है, केवल वहां पर नई भर्तियां और तबादले किए जा रहे हैं।

पदभार संभालने के बाद अब तक उपराज्यपाल को लगभग आधा दर्जन बार पत्र लिखकर अस्पतालों की जानकारी दी जा चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 30 फीसद पद खाली पड़े हैं। इन पत्रों के जवाब में भी उपराज्यपाल का बड़ा ही अटपटा सा जवाब आया है कि हमारे पास लगभग 25-26 विशेषज्ञ की सूची आ गई है, परंतु हम इनको तैनाती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है और प्राधिकरण की बैठक नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार से दिल्ली के सरकारी मेडिकल कालेज की घटना का उदाहरण देते हुए भारद्वाज ने कहा कि उस कालेज में दो छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण की कोशिश हुई। इस पर उपराज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब कालेज प्रशासन उन दोनों लड़कियों को झूठे मामले में फंसाने की साजिश कर रहा है।

भारद्वाज जिन विभागों के प्रभारी हैं, उनमें वे विफल रहे : उपराज्यपाल

जन्सता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जिन विभागों के प्रभारी हैं, उसकी देखभाल करने में विफल रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्हें रोजाना किसी आधार के उपराज्यपाल पर आरोप लगाकर अपने मंत्री पद को बरकरार रखने का एक नया मौका मिल गया है। भारद्वाज के बयान के बाद देर रात उपराज्यपाल कार्यालय ने यह पलटवार किया है। यह बयान उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों में पदों के खाली होने के लिए उपराज्यपाल पर दोषारोपण किया है। बयान में कहा गया है कि पिछले सप्ताह में साल दर साल दिल्ली लॉन्गनेटिविटी के लिए नरक बनती जा रही है। नालियां जाम हो गई हैं और बाढ़ वाले क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा उजाड़ हो गए हैं और नालों की सफाई नहीं होने की वजह से सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा है कि यह मंत्री की और उनके पूर्ववर्ती की अयोग्यता के कारण ही है कि अस्पतालों के लिए 38,000 पद सूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, उन्हें भरना तो दूर की बात है। आप सरकार को पदों का सृजन शुरू होने से



कहा, उन्हें रोजाना बिना किसी आधार के आरोप लगाकर अपने मंत्री पद को बरकरार रखने का एक नया मौका मिल गया है।

पहले ही आवश्यक चिकित्सा पेशेवरों के पदों के पैमाने, विशेषज्ञता और मात्रा को परिभाषित करना होगा। इसके अतिरिक्त इस तरह के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना तो दूर, बिस्तर खरीद, आपरेशन थिएटर के लिए आंतरिक डिजाइन को अंतिम रूप देने, उपकरण खरीदने आदि के लिए भी बजट आबंटित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। अस्पतालों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए के ठेके दिए, लेकिन उन्होंने मानव शक्ति या चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकताओं के लिए एक भी कागज आगे नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाला शहरी विकास विभाग की खस्तावाही है। निगम और जल बोर्ड भी इसी विभाग के तहत आते हैं और यहां पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

धौला कुआं में सीवर जल निकासी की क्षमता बढ़ाएगा पीडब्लूडी

जन्सता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 अगस्त।

धौला कुआं को जलभराव की वजह से होने वाले जाम से बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) जल निकासी की क्षमता को बढ़ाएगा। यह फैसला मंगलवार को पीडब्लूडी मंत्री आतिशी के औचक निरीक्षण के बाद लिया गया है। उनके साथ विभाग के अधिकारियों के साथ रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाइओवर व उसके आसपास की सड़कों का निरीक्षण किया। धौला कुआं में 23 अगस्त को हुई बारिश के कारण रिंग रोड पर धौला कुआं फ्लाइओवर के नीचे जलजमाव की समस्या पैदा हुई थी। आतिशी ने बताया कि धौला कुआं में जमीनी स्थिति का आकार कटोरानुमा है। इस वजह से हल्की ही बारिश का पानी जमा हो जाता है। यहां पर आसपास के मार्ग आने वाला पहुंच जाता है और इस पानी को निकासने में विभाग को काफी समय लगता है। इसलिए यहां पर मौजूदा जल निकासी (ड्रेनेज सिस्टम) को प्रति घंटा 100 मिमी बरसात के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त यहां पर पर्याप्त संख्या में मोबाइल पंप तैनात किए जाएंगे और पानी निकासने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

नोएडा हवाई अड्डे के विस्तार की बाधा खत्म, 3286 हेक्टेयर जमीन खरीदने को मिली मंजूरी

जन्सता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 27 अगस्त।

जेवर में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन खरीदने के नियमों की बाधा समाप्त हो गई है। यूपी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिले में संचित क्षेत्र के लिए अधिकतम पांच फीसद जमीन अधिग्रहण की सीमा बढ़ा दी है। इस निर्णय के बाद नोएडा हवाई अड्डा, नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 4795 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत करने की अनुमति मिल गई है। इस निर्णय को जिले के लिए लागू किया गया है। दरअसल, हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 3286 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें यीडा के मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित सेक्टर 5, 6, 7, 8, 8ए, 10, 11 व 13 आदि के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। पांच फीसद सिंचित क्षेत्र से ज्यादा खरीद नहीं कर पाने के कारण हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास को जमीन अधिगृहीत करने में भी विकट थी। हवाई अड्डा समेत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन की जरूरत के मद्देनजर जिले में अधिग्रहण की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की प्रदेश सरकार से मांग की गई थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जमीन अधिग्रहण की अधिकतम सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

भवन निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा यीडा

ग्रेटर नोएडा, 27 अगस्त (संवाददाता)।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब बकाएदार भवन निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यीडा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद ग्रोन और यीडा, दोनों सीईओ को बकाएदार भवन निर्माताओं से बकाया वसूलने के कड़े निर्देश दिए गए। यह बैठक वीडीयो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में प्लेट खरीदारों के हितों की रक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा प्लेट खरीदारों के पंजीकरण का रहा क्योंकि नोएडा या ग्रोन में प्लेट बुक कराने वाले खरीदारों के सामने बड़ी समस्या यह आ रही है कि अब उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि अभी तक भवन निर्माताओं की तरफ से प्राधिकरण को सिर्फ 25 फीसद राशि को ही जमा किया गया है। यीडा उन भवन निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं किया है। बकाया जमा करने के बाद पंजीकरण के काम में तेजी आएगी।

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.
पंजी. कार्या: गांव-डगौली, नहसील बेल्हा, जिला- विलासपुर, (छत्तीसगढ़)-495224
ई-मेल: rai_nis2007@yahoo.com वेबसाइट: www.novaironsteel.com
(CIN:L02710CT1989PLC010052) फोन: 07752-285206, 07752-285217

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक, किताब बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिए सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी को सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जानी चाहिए, जिसका ईमेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी/आर्टरिफ के साथ पंजीकृत है और कंपनी की वेबसाइट यानी www.novaironsteel.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। बैठक को सूचना शेषधारकों को 28.08.2024 तक भेज दी जाएगी।

वीसीओ/एजीएम के माध्यम से भाग लेने का निर्देश और ई-वोटिंग की प्रक्रिया जिसमें भौतिक रूप में शामिल नंबर या श्री रकेश दत्तवी, वरि. प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (डिडिआ) लिमिटेड, ए थिंग, 25वीं मंजिल, मैदान प्रभुपरचम, मानसलाल मिल कम्पाउंड, एराम जोशी मार्ग, लोअर फ्लोर (पृथु), मुंबई- 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा 022-2058542/43 पर कॉल करें।

कंपनी के सदस्यों का निवेदन तथा शेयर अंतरण किताब एजीएम के उद्देश्य हेतु 17.09.2024 से 23.09.2024 तक (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड
ह./- (धीरज कुमार)
स्थान: नई दिल्ली (कम्पनी सचिव)
दिनांक: 27.08.2024

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आगे के लिए "केजिबि" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: आई.टी. पार्क (3524) उज्जयिनपुर, दिल्ली-110053

कल्याण सूचना (अबल सम्पत्ति के लिए)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि, अचोहस्ताक्षरकर्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.टी. पार्क (3524) शाखा, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांक 20 / 03 / 2024 मिलती की थी, जिसमें ऋणकर्ता श्री मुदित गुप्त और श्री आन गोयल को सूचना में अंकित राशि ₹.2,04,320.61 (दो लाख चार हजार तीन सौ बीस रुपये एवं इकसठ पैसे मात्र) (जो 22 / 12 / 2023 को मूलधन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 22 / 12 / 2023 से आज तक ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता बैंक की सम्पूर्ण निर्धारित बकाया देयराशियों का प्रतिभूतमान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा ऋणकर्ता, गारंटर तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अचोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पत्ति का कब्जा 23 अगस्त 2024 को ले लिया है। ऋणकर्ता को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन ₹.2,04,320.61 (दो लाख चार हजार तीन सौ बीस रुपये एवं इकसठ पैसे मात्र) (जो 22 / 12 / 2023 को मूलधन एवं ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है), साथ ही 22 / 12 / 2023 से ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आई.टी. पार्क (3524) शाखा, दिल्ली के प्राथमिक निर्धारण के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अबल सम्पत्ति का विवरण
श्री मुदित गुप्त पत्र श्री गोपाल मोहन गुप्त, प्लॉट नम्बर सी-199, खसरा नम्बर 67, न्यू पंचवटी कॉलोनी, गाँव-मेहमा सराय उर्फ कोट, परगना लोनी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश). क्षेत्रफल: 98.032 वर्ग मीटर। जो धारा है:-
उत्तर: मुमि दीगर
पूर्व: प्लॉट नं.सी-198
दक्षिण: सड़क 20 फीट
पश्चिम: प्लॉट नं.सी-200

तिथि: 23/08/2024 (प्राधिकृत अधिकारी),
स्थान: गाजियाबाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

उत्तर रेलवे
शुद्धिपत्र
संदर्भ: (i) निविदा सूचना। 05 / 2024- 25 दिनांक 19.04.2024 (क्र. सं. 03)
(ii) निविदा सं 08245128 नियत तिथि 27.08.2024
उपरोक्त निविदा के संदर्भ में, टेडर खुलने की नियत तिथि 27.08.2024 से बदल कर 30.09.2024 कर दी गई है। सभी नियम और शर्त अपरिवर्तित हैं। शुद्धिपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर प्रकाशित किया गया है।
2660/2024

चाहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

JM FINANCIAL
कोर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, मिर्जा, अप्पाराधव पार्ले मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाइट : www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्ति: 1. निरंकी कुमार - 9650606340, 2. गहन सावंत - 9833140333, 3. प्रग्यान मोडे- 022 - 6224 1676.

ई-नीलामी विक्री सूचना-अपराधी विक्री
हा कि पीएमएल कैबिनेट एंड हाउसिंग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विभाग (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड प्रबन्धन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से) ने निम्नलिखित संदर्भों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('संरक्षित अधिनियम') को मांग 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएनएफआरसी- अस्थायी- ट्रेड के तहत के रूप में अपनी क्षमता में कार्बन जेएनएफआरसी (जेएनए) (इसके बाद आरानी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक अग्रदस्तावेज़ 'सम्पत्ति' (अग्रदस्तावेज़ संख्या) के माध्यम से अक्ष का एक पत्र (नीचे उल्लिखित ब्याज राशि) ली है। सूचित किया जाता है कि पीएमएल/एनएफआरसी को अग्रदस्तावेज़/देवा अग्रदस्तावेज़ के माध्यम से सभी परिसरों और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदान/सह एंटर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है। कर्जदारों से देन राशि को वसूलने के लिए सरकारी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति सहायता के अधिकृत अधिकारी द्वारा गहन उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुमरण में, नीचे वर्णित अग्रदस्तावेज़, जो नीलाम कर रहे हैं, की 'जैसा है जैसा है' के आधार पर, 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है जैसा है के आधार पर' खाली के लिए अचोहस्ताक्षरों द्वारा प्रदान आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अक्ष कोड/शाखा/कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर	भूख सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अनिम	आंशिक मूल्य	अंश धरोहर राशि (इंशुफी) का 10% (अनु.)	बकाया राशि (24-08-2024)
अक्ष कोड संख्या 0140003828, नई दिल्ली (शाखा), सुनील जैन (कर्जदार 1) (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 21-01-2020, र. 20,47,638/- (रुपये बीस लाख तीसवाली हजार छह सौ अड़तीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- ix/1891, प्लॉट नंबर-22, तीसरी मंजिल, गली नंबर- 3, खडग नगर- 18, 9,11 से 16 और 128, केलाश नगर, गांधी नगर, शाहदाद दिल्ली नई दिल्ली-110092 सीमाएं: उत्तर: अन्य संचित दक्षिण: सड़क 15 फीट पूर्व: रोप मांग पश्चिम: दुसरी की संपत्ति	₹. 1344600/- (रुपये तेरह लाख चौवालीस हजार छह सौ मात्र)	₹. 134460/- (रुपये एक लाख चौबीस हजार चार सौ मात्र)	₹. 3544601/- (रुपये पैंतीस लाख चौबीस हजार हजार छह सौ एक मात्र)
अक्ष कोड सं. : 20000042745, नोएडा-सेक्टर 2 (शाखा), अश्विनेश कुमार पाण्डे (कर्जदार), विष्णु पाण्डे (सह-कर्जदार)	दिनांक: 24-05-2021, र. 16,99792/- (रुपये सोलह लाख तत्ताने हजार नौ सौ नब्बे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर 17, खडग नंबर 76, सुपुमा पुर्वा कालोनी, कृष्ण पार्किंग स्थान, पार्किंगवाड उत्तर प्रदेश 201206 में सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: पूर्व-अन्य संचित दक्षिण: पश्चिम-अन्य संचित पूर्व-दक्षिण-पूर्व-सड़क पश्चिम: सड़क	₹. 1329300/- (रुपये तेरह लाख उन्तीस हजार तीन सौ मात्र)	₹. 132930/- (रुपये एक लाख बीस हजार तीन सौ मात्र)	₹. 2615712/- (रुपये छत्तीस लाख पन्द्रह हजार सत्र सौ बत्तर मात्र)
अक्ष कोड संख्या 26600000456, दिल्ली राजीव गांधी (शाखा), रीना सिंह (कर्जदार), तरुण कुमार (सह कर्जदार 1)	दिनांक: 28-06-2021, र. 14,44,797/- (रुपये चौदह लाख चौवालीस हजार सात सौ सत्ताने मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- प्लॉट नंबर- ए 48 ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर- 2 श्याम नगर, चंद्र नगर गांव खुर्दोई खास शाहदरा, दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली-110051 सीमाएं: उत्तर: अन्य संचित दक्षिण: सड़क पूर्व: संचित की रोप मांग (प्लॉट) पश्चिम: संचित की रोप मांग (प्लॉट)	₹. 1644300/- (रुपये सोलह लाख चौवालीस हजार तीन सौ मात्र)	₹. 164430/- (रुपये एक लाख चौबीस हजार चार सौ तीस मात्र)	₹. 1957528/- (रुपये उन्तीस लाख तीन हजार हजार पांच सौ अठ्ठस मात्र)
अक्ष को सं. : 23400002896, आगरा (शाखा), सुधीर कुमार (कर्जदार), रमेश चन्द (सह-कर्जदार 1), सरिता देवी (सह-कर्जदार 2)	दिनांक: 18-12-2021, र. 19,76,690/- (रुपये नूनीस लाख छिपतर हजार छह सौ नब्बे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग- परमोपल नंबर और 4/175 प्लॉट और 4/176, एनआर रजिडेंसी, नगला पृथ्वी नगर आगरा उत्तर प्रदेश भारत 282010 की संपत्ति पर दूरात तल प्लॉट नंबर 301, सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: आसमान के लिए खुला दक्षिण: आगरा रेलगा पूर्व: रस्ता, सौरिथी पश्चिम: अन्य घर	₹. 1167000/- (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)	₹. 116700/- (रुपये एक लाख सोलह हजार सात सौ मात्र)	₹. 2903636/- (रुपये उन्तीस लाख तीन हजार छह सौ छत्तीस मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 19-09-2024, प्रारंभ: 11.00 बजे से अग्रहण 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के अर्निमित्त विस्तार के साथ) बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 18-09-2024, शाखा 4.00 बजे तक।
विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया <https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale> या <https://www.bankauction.in> पर दिए गए लिंक को देखें।
कर्जदार/गारंटर/बैंककर्ता को संरक्षित अधिनियम के तहत